

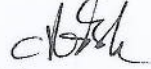
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 7119-25

दिनांक: 1-11-12

संशोधन

निदेशालय के आदेश संख्या एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 6999-7020 दिनांक 23.10.2012 के द्वारा श्री अरुण कुमार शर्मा (क्रम संख्या 9) के कालम संख्या 5 में "निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर" से वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, में संशोधन करते हुए "कोषालय, अलवर" से वेतन आहरण कर भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 7119-25

दिनांक: 1-11-12

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
2. कोषाधिकारी, अलवर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मी का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें
3. प्रभारी, एनआईसी वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. डेस्क आफिसर कार्मिक(द्वितीय/लेखा-प्रशासन)
5. श्री अरुण कुमार शर्मा, क0लेखाकार कार्यालय उपनिदेशक, कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना, अलवर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
6. निजी सहायक, निदेशक
7. निजी पत्रावली


अति. निदेशक (कार्मिक-II)